

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
460	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.838) दि. 09-03-2016 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	(1) भिण्ड विधान सभा क्षेत्र सहित समूचे जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना मद की राशि 50% अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती के काम के लिए स्वीकृत नहीं करने वाले वर्षों से पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाना। (2) वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित कर पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाना। (3) माननीय सदस्यों को समिति में रखा जाना।	(1) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि उन अधिकारियों को निलंबित करने की। (3) वर्तमान में व्यवस्था या प्रावधान हैं, उसमें जो कठिनाई आती है उसमें सुधार किया जायेगा। (4) आसंदी का निर्देश :- आप लोग कमेटी में रहेंगे।		
461	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.1630) दि. 09-03-2016 (कुँवर विक्रम सिंह)	(1) छतरपुर जिले के आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजे गये 03 प्रस्ताव की इसी वर्ष स्वीकृति दी जाना। (2) कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनगर द्वारा फरवरी 2016 में प्राक्कलन सहित भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाना।	(1) स्वीकृतियां मिल जायेंगी। (2) जो प्रस्ताव आये हैं, उनकी स्वीकृति दी जायेगी।		
462	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.911) दि. 09-03-2016 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	विदिशा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	निर्माणाधीन कार्य मई 2016 तक पूर्ण हो जायेंगे।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
463	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.5376) दि. 09-03-2016 (पं. रमेश दुबे)	(1) जिला छिन्दवाड़ा विकासखण्ड बिछुआ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बडोसा का गुणवत्ताविहीन भवन निर्माण की जांच प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में कराया जाना एवं संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। (2) स्कूल भवन निर्माण में अनुशासनहीनता बरतने वाले संबंधित उपयंत्रों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ ही राशि की वसूली की जाना एवं वर्षा ऋतु के पूर्व स्कूल भवन की मरम्मत कराई जाना।	(1) जी हां। कार्यवाही की जा रही है।  (2) अभी अनुशासनहीनता की कार्यवाही प्रचलन में है। संबंधित उपयंत्रों के ऊपर कार्यवाही तो होगी ही, उनसे राशि की वसूली भी कि जायेगी और बरसात के पहले स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त करा दी जायेगी।		
464	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.4364) दि. 09-03-2016 (डॉ. कैलाश जाटव)	आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत डाइट्स में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रतिनियुक्ति/पद विरुद्ध कार्यरत व्याख्याता को उनके मूल विभाग में वापस किया जाना।	आवश्यकता अवश्य है 10 व्याख्याता वहां पदस्थ हैं दूसरी व्याख्याताओं की सेवाएं आज ही वापस की जाती है।		
465	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.40) दि. 09-03-2016 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र की शालाओं में प्राचार्य, संविदा वर्ग 1, 2, 3 एवं अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति जुलाई सत्र के पूर्व किया जाना।	माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जुलाई सत्र के पहले जो पदों की कमी है वह पूर्ति हो जायेगी।		
466	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्रं.5488) दि. 09-03-2016 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	धार जिले में कौशल विकास एवं अन्य प्रकार के हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिये जाने के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जाना।	परीक्षण उपरांत यथोचित कार्यवाही की जायेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
467	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.5537) दि. 09-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को वर्ष 2011 से 2015 तक अवधि में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	अभी जांच प्रचलित है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
468	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.143 (प्रश्न क्रं.5539) दि. 09-03-2016 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल जिले में माइक्रो एरिगेशन योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लगाए ड्रिप सिस्टम में अनियमितताओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	सर्वसंबंधितों को दिनांक 27.02.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
469	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.138 (प्रश्न क्रं.5505) दि. 09-03-2016 (श्री बाला बच्चन)	(1) श्री आर.के. श्रीवास्तव उप संचालक रेशम के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) तत्कालीन आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही हेतु वन विभाग को भेजा गया प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) श्री आर.के. श्रीवास्तव उप संचालक, रेशम (निलंबित) के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर दिनांक 30.1.16 से जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। (2) प्रकरण में तत्कालीन आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 06.10.2015 के द्वारा वन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
470	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.330) दि. 09-03-2016 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर एवं कराहल में गिरते भू-जल स्तर से सहरिया आदिवासी परिवार को विस्थापन से रोकने हेतु पानी की व्यवस्था की जाना।	हम इसका परीक्षण करवा देंगे।		
471	मांग संख्या (क्रमांक 23) दि. 09-03-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	बाण सागर परियोजना का पानी रीवा जिले के मऊगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कैलासपुर परियोजना में लिफ्ट कराया जाना।	इसका परीक्षण हम करा लेंगे।		
472	मांग संख्या (क्रमांक 23) दि. 09-03-2016 (श्री आर.डी. प्रजापति)	(1) छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बरियापुर नहर को तालाबों से जोड़ा जाना। (2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु नर्मदा नदी का पानी लाया जाना।	(1) इसका हम परीक्षण करा लेंगे। (2) इसमें परीक्षण कराने का निर्देश देते हैं।		
473	मांग संख्या (क्रमांक 23) दि. 09-03-2016 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिला स्थित माही (डेम) परियोजना में नर्मदा नदी का पानी लाया जाना।	एन.वी.डी.ए. को नर्मदा मालवा परियोजना के तहत परीक्षण के लिए कह रहे हैं।		
474	मांग संख्या (क्रमांक 23) दि. 09-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की लहार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत करधन तालाब का जीर्णोद्धार किया जाना।	करधन तालाब की बात की है तो उसकी मरम्मत करा देंगे।		
475	मांग संख्या (क्रमांक 23) दि. 09-03-2016 (श्री दुर्गालाल विजय)	चंबल नहर का पानी सुचारू रूप से टेल तक पहुंचाने के लिए नहर में उग आई चोई को शीघ्र हटाया जाना।	राजस्थान और मध्यप्रदेश में दोनों जगहों पर चोई हटाने का काम किया जाएगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
476	मांग संख्या (क्रमांक 23) दि. 09-03-2016 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	खरगौन जिले की भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एन.वी.डी.ए. द्वारा सर्वे कर चिन्हित परियोजना जो कि डी.पी.आर. सहित पूर्ण कर जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरण की गई है, में से साध्य परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति दी जाना ।	(1) साध्यता के आदेश हमने जारी कर दिये है । (2) डी.पी.आर. शीघ्र बनवाएंगे और साध्य परियोजनाओं को हम स्वीकृत करेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
477	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.126) दि. 09-03-2016 (श्रीमती अर्चना चिटनिस)	(1) प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कराधान व वसूली को प्रोत्साहन हेतु अनुपातिक आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को शीघ्रातिशीघ्र राशि उपलब्ध कराया जाना । (2) प्रदेश की करारोपण करने वाली ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर अतिशीघ्र उन पंचायतों के खातों में राशि जमा कराई जाना । (3) भिण्ड जिले में कराधान की राशि के दुरुपयोग किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	(1) हम सभी पंचायतों के लिए राशि शीघ्र अतिशीघ्र दो-तीन दिन में उपलब्ध करा देंगे । (2) राज्य में जो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां करारोपण हुआ है, उन सबका 2 दिन में परीक्षण कराकर उनके खातों में राशि हम जमा करा देंगे । (3) सभी के लिए हम राशि दो दिन के अन्दर भिजवाने का कार्य करेंगे । (4) हम निश्चित रूप से इसकी जांच करवा लेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पशुपालन विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
478	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.5525) दि. 09-03-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले की महिदपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गोपाल गौशाला एवं श्रीकृष्ण गौशाला की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना ।	(1) उस अतिक्रमण को वे हटाएं और गौशाला की भूमि गौशाला को दी जाये । (2) आज इसी वक्त तत्काल यहां से जाने के बाद कलेक्टर को पत्र लिखूंगी ।		
479	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.3894) दि. 09-03-2016 (श्री दिनेश राय)	सिवनी जिले में पशु चिकित्सकों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने पर यात्रा-भत्ता न लेने की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	निश्चित रूप से इसकी जांच करवाऊंगी तथा उसका सत्यापन भी करवाऊंगी ।		
480	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.92 (प्रश्न क्रं.4371) दि. 09-03-2016 (डॉ. कैलाश जाटव)	वर्ष 2011 में नियुक्त/पदस्थ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर समय-सीमा पूर्ण होने पर नियमानुसार नियमित किया जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
481	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.4997) दि. 09-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल संभाग में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अनुदान दिये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) इसकी हम जांच करा लेंगे। (2) माननीय सदस्य ने जो जांच की मांग की है उसकी हम जांच करवा लेंगे। (3) जो जांच मांगी है उसकी भी हम जांच करा लेंगे।		
482	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.4868) दि. 09-03-2016 (श्री हर्ष यादव)	पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय के कर्मचारियों का बंटवारा नहीं किया जाना एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन किये बिना नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।		
483	अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.4999) दि. 09-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	म.प्र. वक्फ बोर्ड के निलंबित/सेवा से पृथक किए गये कर्मचारियों के पक्ष में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन किया जाना एवं नियम विरुद्ध कर्मचारियों पर कार्यवाही करने पर बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
484	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.4443) दि. 09-03-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	हृरदा जिले में विगत तीन वर्षों में कराये गये नलकूप खनन के संबंध में उत्तर के परिशिष्ट के कालम क्रं. 7 में दी गई अपूर्ण जानकारी की पूर्ण जानकारी ग्राम एवं पाईटवार किये गये बोरिंग की जानकारी दी जाना।	(1) <b>अध्यक्षीय निर्देश</b> :- मा.मंत्री जी वह जानकारी आपको दे देंगी। (2) जहां भी आप खनन कराना चाहते हैं वह स्थान बतायें मैं करवा दूंगी।		
485	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.3962) दि. 09-03-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा जिले सहित प्रदेश की बंद पड़ी नल जल योजनाओं की गर्मी शुरू होने से पहले सुधरवाना/मरम्मत कराया जाना।	(1) गर्मी शुरू होने के पहले हम सुधरवा देंगे। (2) हम सारी नल जल योजनायें सुधरवा देंगे।		
486	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.415) दि. 09-03-2016 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	उज्जैन जिले की नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र अनुसार पेयजल की समस्या के निवारण हेतु नलकूप खनन कराया जाना।	जी हां। आवश्यकतानुसार आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में नल-कूप खनन की कार्यवाही की जायेगी।		
487	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.532) दि. 09-03-2016 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान में उत्पन्न पेयजल संकट निवारण हेतु बंद नलजल योजना को चालू करना एवं नवीन नलकूप खनन कराया जाना।	बंद नलजल प्रदाय योजनाओं के लिये स्रोत निर्माण कर चालू करना तथा आंशिक पूर्ण बसाहटों में नवीन नल-कूप खनन करने की कार्यवाही की जा रही है।		
488	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.31 (प्रश्न क्रं.1750) दि. 09-03-2016 (श्री संजय शर्मा)	रायसेन जिले में उदयपुरा समूह प्रदाय योजना का अनुबंध अनुसार समय-सीमा में पूर्ण किया जाना एवं संग्रामपुर योजना समूह नलजल योजना के स्रोत निर्माण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	(1) कार्यदिशानुसार जुलाई 2016 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। (2) निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
489	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.4385) दि. 09-03-2016 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले के सुमावली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से मई 2014 तक की अवधि में नलकूप खनन निविदाओं में की गई अनियमितताओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	अधीक्षण यंत्री, चंबल संभाग मुरैना के जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 2531 दिनांक 22.06.2015 के आधार पर उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र मांगे गए हैं। आरोप पत्र प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।		
490	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्रं.5419) दि. 09-03-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	(1) श्री पी.के. मैदमवार अधीक्षण यंत्री रीवा द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्ति किये जाने की जांच एवं (2) श्री मैदमवार के विरुद्ध लोकायुक्त में प्रचलित जांच के चलते नियम विरुद्ध मुख्य अभियंता जबलपुर का प्रभार दिये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है। (2) जांच की कार्यवाही प्रचलित है।		
491	अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.3776) दि. 09-03-2016 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके)	मण्डला जिले के ग्राम खैरी में स्वीकृत वृहद नलजल योजना के सभी टेस्टिंग कार्य पूर्ण कर समय-सीमा में योजना को प्रारंभ किया जाना।	(1) सभी कार्य पूर्ण कर टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। (2) मार्च 2016 से लाभ मिलना प्रारंभ हो जायेगा।		
492	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.3908) दि. 09-03-2016 (श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया)	मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा क्षेत्र में खनन हैण्डपंप के प्लेटफार्म का निर्माण कार्य समय-सीमा में किया जाना।	40 पर प्लेटफार्म निर्माण किया जाना है जिसे 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 09-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
493	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.4049) दि. 09-03-2016 (श्री रजनीश सिंह)	सिवनी जिले की विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत माध्यमिक शाला अलौनीखापा का हाईस्कूल में अतिशीघ्र उन्नयन किया जाना ।	(1) उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) हम परीक्षण करवा लेंगे और यदि कुछ विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं तो इस हाई स्कूल को मंजूरी के लिए प्रस्तावित करेंगे । (3) आपको आश्वस्त करते हैं कि हम करेंगे । अतिशीघ्र ।		
494	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.5234) दि. 09-03-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कटनी शहर के इंदिरा गांधी वार्ड में पुरवार कन्या हाईस्कूल तक विशेष परिस्थिति में एवं मानवीय आधार पर पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना ।	(1) नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिख दिया है कि इन बाधाओं को दूर करके रास्ते की सुगम रूप से चलने के लिए व्यवस्था करें और साथ ही आगे के लिए निर्माण कार्य के लिए बाधाएं दूर करने का प्रयास करें । (2) पूरी कोशिश है कि बाधाओं को दूर करते हुए वहां मार्ग निर्माण हो सके ।		
495	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.5468) दि. 09-03-2016 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वर्ष 2015 में शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर नियम विरुद्ध शिक्षकों का निलंबन किये जाने की प्रश्नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में 15 दिवस में जांच कराई जाना एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रकरण की जांच करवाई जा रही है एवं प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी । (2) उसकी हम जांच करा लेंगे और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । (3) जांच के इस दायरे में अगर वे स्वयं को सम्मिलित करना चाहते हैं तो उनको पत्र परीक्षण करने के लिए उपलब्ध करा देंगे । (4) शीघ्र करवा लेंगे ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
496	तारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.3163) दि. 09-03-2016 (श्री सचिन यादव)	जिला खरगोन की कसरावद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाईस्कूल रैगांव के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाना एवं विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता अनुसार राशि स्वीकृत की जाना ।	(1) आश्वस्त करते हैं कि हाई स्कूल रैगांव के लिये भवन उपलब्ध करायेंगे । (2) यदि संभव हुआ तो बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर देंगे ।		
497	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.1161) दि. 09-03-2016 (श्री शंकर लाल तिवारी)	(1) सतना में सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं (2) माध्यमिक शालाओं में अध्यापक पद के विरुद्ध (गणित एवं अंग्रेजी विषय के विरुद्ध) कार्यरत को हटाकर रिक्त पदों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती किया जाना ।	(1) जांच समिति गठित की जाकर जांच प्रचलन में है । (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार नियमों के प्रकाश में आवश्यक आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।		
498	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.122 (प्रश्न क्रं.5035) दि. 09-03-2016 (श्री गिरीश भंडारी)	राजगढ़ जिले के शा.उ.मा. विद्यालय करनवास में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य द्वारा अनियमितता किये जाने की, की गई जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना ।	(1) कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है । (2) जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
499	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.461) दि. 09-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	पं. नेहरू उ.मा.वि. बानमोर एवं अशासकीय सेन्टपाल उ.मा.वि. बानमौर जिला मुरैना द्वारा मा.शि.मं. के नियमों के विरुद्ध स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा फार्म निर्धारित संख्या से अधिक अग्रेषित किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा जांच कराई जा रही है । जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
500	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.1673) दि. 09-03-2016 (श्रीमती ममता मीना)	कन्या माध्यमिक विद्यालय केन्ट गुना में छात्र संख्या अनुपात से अधिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के पदस्थ होने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा जांच की जा रही है । (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>501</b>	अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.1674) दि. 09-03-2016 (श्रीमती ममता मीना)	कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र गुना अंतर्गत पेयजल विहीन शहरी क्षेत्र की शासकीय शालाओं में टंकी निर्माण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही प्रचलित है। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
<b>502</b>	अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.2908) दि. 09-03-2016 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	रीवा जिले के शा.उ.मा. विद्यालय पुरौना एवं पनवार में प्राचार्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (रमसा) से प्राप्त राशि का नियम विरुद्ध आहरण एवं व्यय करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) नियम विरुद्ध आहरण हेतु उ.मा.वि. पनवार के प्राचार्य को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (2) पृथक से नोटिस की कार्यवाही की जा रही है।		
<b>503</b>	अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.3254) दि. 09-03-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 823) दिनांक 11.12.15 के परिप्रेक्ष्य में छात्र/छात्राओं को गणवेश वितरण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
<b>504</b>	अतारांकित प्रश्न सं.90 (प्रश्न क्रं.4202) दि. 09-03-2016 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश लेने वाले कमजोर समूह/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं के शेष बच्चे की फीस प्रतिपूर्ति शीघ्र किया जाना।	शेष बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
<b>505</b>	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.4698) दि. 09-03-2016 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा स्थानांतरण नीति एवं वरिष्ठ कार्यालय के दिशा निर्देश के विरुद्ध लिपिको के किये गए स्थानांतरण की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>506</b>	अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.4699) दि. 09-03-2016 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर जिले के शा.हाई.स्कूल रामपुर के संकुल केन्द्र के अंतर्गत बालक मंदिर शाला रामपुर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं कर कक्षा पांचवी के छात्र/छात्राओं को फेल किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		
<b>507</b>	अतारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्रं.4792) दि. 09-03-2016 (श्री दीवानसिंह विट्टल पटेल)	बड़वानी जिले में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र बड़वानी की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हें मूल विभाग में भेजे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाना ।	उन्हें मूल विभाग में भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।		
<b>508</b>	अतारांकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.5043) दि. 09-03-2016 (श्री गिरीश भंडारी)	राजगढ़ जिले के शास.उ.मा.वि. करनवास में वर्ष 2008 से जनवरी 2015 की अवधि में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत प्राचार्य द्वारा स्थानीय केश बुक, छात्र/छात्राओं की फीस का संधारण नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		